

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक... 13/14/12
को प्रस्तुत

अधीक्षण
103)

श्रीमान् म.प्र.राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर केम्प इंदौर के समक्ष

R - 1094-10912 प्रकरण क्रमांक /2011-2012/निगरानी

वरमसिंह पिता खखडिया भिलाला,
निवासी- ग्राम जामला, तहसील कुक्षी, जिला धार म.प्र. ...प्रार्थी

विरुद्ध

केहरु पिता गबा भिलाला,
उम्र- 60 वर्ष, धंधा-खेती,
निवासी- ग्राम जामला, तहसील कुक्षी, जिला धार म.प्र.प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

विद्वान न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला धार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 33/2011-12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.02.2012, जिसके द्वारा प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 44 के प्रकरण क्रमांक 2/2010-11/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2011 को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि, प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में भाई बंधू हैं तथा अपने-अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं।
2. यह कि, प्रार्थी द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, कुक्षी जिला द्वारा के समक्ष एक अपील धारा 44 भू-राजस्व संहिता प्रस्तुत की गई होकर जो अद्यत इनांक 2/2010-11 पर दर्ज हुई थी। प्रार्थी द्वारा उल्लं

क्रमांक 1008
रजिस्टर्ड नं. 4-220 प्राप्त
दिनांक 20.4.2012
क
दिनांक 20.4.2012 द्वारा ग्वालियर



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, रवालियर

अनुबृति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1094-पीबीआर/2012 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री राहुल राठौर अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> मनोज गोयल</p> <p>(मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>	